न्यायालय सहायक कलक्टर (F.T.) नीमका थाना

शेखसिंह / अमराव वगै.

मु.न. 155/2025

11/11/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] आज अवकाश [illegible] पर रखा है। पत्रावली [illegible] आदेशानुसार दिनांक 4/12/25 को पेश हो

4/12 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब [illegible] कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/2/26 को पेश हो।

10/12/25 वादी वकील द्वारा पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] की तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय [illegible] से [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:22 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. शेरसिंह सुरेला पुत्र बनवारीलाल जाति बलाई निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादी–

बनाम

1. उमराव पुत्र ईश्वर जाति बलाई निवासी छाजा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर– 155/2025
दावा बाबत विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू एवं हाजरी श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।
निज................×........................मुबलिग....................×........................बाबत.................×......................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......................×.............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 10 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)

दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:22 IST
Reason: SelfAttested